न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 155 / 2023

1 दिनेश पुत्र स्व. अर्जुनलाल आयु 48 साल जाति सैनी निवासी बडी ढाणी थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांट्स

वनाम

1 रामगोपाल पुत्र नाथुराम उम्र 65 साल
2 सुवालाल पुत्र नाथुराम उम्र 59 साल
3 मुरलीधर पुत्र नाथुराम उम्र 51 साल
4 प्रहलाद पुत्र नाथुराम उम्र 45 साल
5 मुरलीदेवी पुत्री नाथुराम उम्र 63 साल
6 पांची देवी पुत्री नाथुराम उम्र 61 साल
7 राजेन्द्र पुत्र स्व. अर्जुनलाल आयु 44 साल
8 श्रीराम पुत्र स्व. अर्जुनलाल आयु 42 साल
9 भूरी पत्नी स्व. अर्जुनलाल आयु 75 साल
10 गीता पुत्री स्व. अर्जुनलाल आयु 50 साल
11 सुण्डी देवी पुत्री स्व. अर्जुनलाल आयु 46 साल
12 मांगीलाल पुत्र स्व. गीगा आयु 63 साल
13 सीताराम पुत्र स्व. गीगा आयु 60 साल
14 मदनलाल पुत्र स्व. गीगा आयु 59 साल
15 ग्यारसी देवीी पत्नी स्व. गीगा आयु 82 साल
16 मनभरी पुत्री स्व. गीगा आयु 57 साल
17 सुशीला पुत्री स्व. गीगा आयु 45 साल
18 राधा पुत्री स्व. गीगा आयु 55 साल
19 घोटी देवी पुत्री स्व. गीगा आयु 52 साल
20 पोथा देवी पुत्री स्व. गीगा आयु 49 साल
21 चौथमल पुत्र दोलाराम आयु 45 साल
22 चोथी पुत्री कानाराम आयु 60 साल
23 जगदीश पुत्र कानाराम आयु 75 साल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

24 तीजा पुत्री कानाराम आयु 65 साल
25 दाखा देवी पत्नी दोलाराम आयु 85 साल (नाम हजफ दिनांक 16.12.24)
26 बाबुलाल पुत्र दोलाराम आयु 62 साल
27 बाबुलाल पुत्र कानाराम आयु 61 साल
28 बिड़दीचंद पुत्र दोलाराम आयु 57 साल
29 मोहनलाल पुत्र कानाराम आयु 70 साल
30 रामोडी पुत्री दोलाराम आयु 42 साल
31 सन्ती देवी पुत्री दोलाराम आयु 45 साल
समस्त जाति माली निवासीगण बड़ी ढाणी थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
32 पटवारी पटवार हल्का थोई जिला सीकर।
33 उप पंजीयक अजीतगढ़ जिला सीकर।
34 भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर फा.ट्रे. श्रीमाधोपुर पीठासीन अधिकारी श्री दिलीप सिंह आरएएस प्रकरण संख्या 72/2023 उनवानी प्रकरण रामगोपाल बनाम दिनेश आदिदिनांकित 15.06.2023

अपील संख्या 148/2023

1 दिनेश पुत्र स्व. अर्जुनलाल आयु 48 साल जाति सैनी निवासी बड़ी ढाणी थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांट्स

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बनाम

1 रामगोपाल पुत्र नाथुराम उम्र 65 साल
2 सुवालाल पुत्र नाथुराम उम्र 59 साल
3 मुरलीधर पुत्र नाथुराम उम्र 51 साल
4 प्रहलाद पुत्र नाथुराम उम्र 45 साल
5 मुरलीदेवी पुत्री नाथुराम उम्र 63 साल
6 पांची देवी पुत्री नाथुराम उम्र 61 साल
7 राजेन्द्र पुत्र स्व. अर्जुनलाल आयु 44 साल
8 श्रीराम पुत्र स्व. अर्जुनलाल आयु 42 साल
9 भूरी पत्नी स्व. अर्जुनलाल आयु 75 साल
10 गीता पुत्री स्व. अर्जुनलाल आयु 50 साल
11 सुण्डी देवी पुत्री स्व. अर्जुनलाल आयु 46 साल
12 मांगीलाल पुत्र स्व. गीगा आयु 63 साल
13 सीताराम पुत्र स्व. गीगा आयु 60 साल
14 मदनलाल पुत्र स्व. गीगा आयु 59 साल
15 ग्यारसी देवीी पत्नी स्व. गीगा आयु 82 साल
16 मनभरी पुत्री स्व. गीगा आयु 57 साल
17 सुशीला पुत्री स्व. गीगा आयु 45 साल
18 राधा पुत्री स्व. गीगा आयु 55 साल
19 घोटी देवी पुत्री स्व. गीगा आयु 52 साल
20 पोथा देवी पुत्री स्व. गीगा आयु 49 साल
21 चौथमल पुत्र दोलाराम आयु 45 साल
22 चोथी पुत्री कानाराम आयु 60 साल
23 जगदीश पुत्र कानाराम आयु 75 साल
24 तीजा पुत्री कानाराम आयु 65 साल
25 दाखा देवी पत्नी दोलाराम आयु 85 साल (नाम हजफ दिनांक 16.12.24)
26 बाबुलाल पुत्र दोलाराम आयु 62 साल
27 बाबुलाल पुत्र कानाराम आयु 61 साल
28 बिड़दीचंद पुत्र दोलाराम आयु 57 साल
29 मोहनलाल पुत्र कानाराम आयु 70 साल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

30 रागोडी पुत्री दोलाराम आयु 42 साल
31 सन्ती देवी पुत्री दोलाराम आयु 45 साल
समस्त जाति गाली निवासीगण बड़ी ढाणी थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
32 पटवारी पटवार हल्का थोई जिला सीकर।
33 उप पंजीयक अजीतगढ़ जिला सीकर।
34 भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.09.2023
न्यायालय सहायक कलेक्टर फा.ट्रे. श्रीमाधोपुर
उनवानी प्रकरण रामगोपाल बनाम दिनेश आदि
मु.नं. 72/2023

उपस्थिति :
1. श्री विनोद कुमार सरोज, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र कुमार मातवा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 22/12/25

यह अपील विचारण उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 72/2023 में पारित निर्णय दिनांक 15.06.2023 व 04.09.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक—पृथक रखी जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 ने एक वाद बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 2266, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316 वाके ग्राम बड़ी ढाणी, थोई का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिकी जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील संख्या 155/2023 धारा 5 के आवेदन के साथ व अपील संख्या 148/2023 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत दावा में जवाब मय कोस दावा प्रस्तुत किया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 2311, 2312, 2313 में पुख्ता मकानात बने होने तथा खसरा नम्बर 2313 की पूर्वी तरफ से मुरलीधर के मकान से पगडण्ड के रूप में दोनों तरफ खाम डोल बनी होकर करीबन तीन फुट चौड़ाई की शामलाती कुआ खसरा नम्बर 2274 तक इसके उत्तर की तरफ से खसरा नम्बर 2273, 2275 के मध्य से सींव होकर खसरा नम्बर 2273 के पूर्वी तरफ से पगडण्डी खसरा नम्बर 2266 तक वनी होने तथा उसी अनुसार रास्ते का उपयोग उपभोग किये जाने का कथन किया गया। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा कोस दावे के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु सहमति दी गई। तहसीलदार द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से मौके पर गये बिना ही उक्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04.07.2023 को बनाया जाकर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति लिये विना ही व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही इसके अंतिम डिक्री मानकर इसी के अनुसार उक्त वादपत्र गलत रूप से डिकी कर दिया गया। तहसीलदार द्वारा उक्त निर्देश की पालना किये बिना ही बिना मौके पर गये ही उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवा दिया गया। तहसीलदार द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थित पक्षकारों व मौतबिरान के हस्ताक्षर के कॉलम में सभी सहखातेदारों द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया का अंकन किया गया है। तहसीलदार द्वारा सहखातेदारों को सूचना दिये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज उक्त रिपोर्ट के

भू.प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

साथ प्रस्तुत नहीं किया गया। तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव में कृषि भूमि का बंटवारा असमान रूप से किया गया है। तहसीलदार द्वारा पक्षकारान को बंटवारे में हिस्सा बराबर दिये जाने के बजाय काफी कम ज्याद किया जाकर हिस्सों में काफी अन्तर किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा विभाजन पस्ताव पर सहमति दिये जाने का कथन गलत रूप से उक्त निर्णय में किया गया है। अपीलान्ट के अधिवक्ता को उक्त विभाजन प्रस्ताव की जानकारी दिये बिना ही व गलत रूप से बिना कोई सहमति दिये ही उक्त तथ्य अंकित कर दिये गये। पत्रावली में अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा सहमति दिये जाने बाबत किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 2311, 2312, 2313 में पुख्ता मकानात बने होने व 2311 के उत्तर दिशा में कोई रास्ता नहीं होने के बावजुद रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत रूप से 2311 से रास्ता होने की मांग किये जाने के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त रास्ता जारी किये जाने हेतु आदेश पारित कर दिये गये। रेस्पोडेन्ट का खसरा नम्बर 2311, 2312, 2313 में कोई हक हिस्सा नहीं है एवं न ही 2311 के उत्तर दिशा से कोई रास्ता विद्यमान है। इसके बावजूद गलत रूप से विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के जवाबदावा व क्रोस दावा पर मनन किये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया गया है। जानकारी से अंदर मियाद अपील संख्या 155/2023 धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर फा.ट्रे. श्रीमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2023 व 04.09.2023 उनवानी प्रकरण रामगोपाल बनाम दिनेश आदि मु.नं. 72/2023 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 ने एक वाद बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 2266, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316 वाके ग्राम बड़ी ढाणी, थोई का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में पक्षकार दर्ज है। विचारण न्यायालय में दिनांक 05.06.2023 को अपीलान्ट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट ने दिनांक 15.06.2023 की आदेशिका पर हस्ताक्षर कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु सहमति प्रदान की है। अपीलान्ट को प्राथमिक डिक्री की प्रारम्भ से जानकारी रही है। इसके पश्चात भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। सहमति से पारित प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विधि द्वारा पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 28.08.2023 को विचारण न्यायालय में प्राप्त होने पर अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव से सहमति जाहिर करने का अंकन आदेशिका में किया हुआ है। विचारण न्यायालय ने सहमति के आधार पर ही विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 ने एक वाद बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 2266, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316 वाके ग्राम बड़ी ढाणी, थोई का पेश किया। विचारण न्यायालय ने वाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी।

विचारण न्यायालय में अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में पक्षकार दर्ज है। विचारण न्यायालय में दिनांक 05.06.2023 को अपीलान्ट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट ने दिनांक 15.06.2023 की आदेशिका पर हस्ताक्षर कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु सहमति प्रदान की है। अपीलान्ट को प्राथमिक डिक्री की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रारम्भ से जानकारी रही है। इसके पश्चात भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। सहमति से पारित प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विधि द्वारा पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 28.08.2023 को विचारण न्यायालय में प्राप्त होने पर अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव से सहमति जाहिर करने का अंकन आदेशिका में किया हुआ है। विचारण न्यायालय ने सहमति के आधार पर ही विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है।

विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा कुल 26 खातेदारान के विरूद्ध विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है। इनमें से केवल प्रतिवादी संख्या 1 दिनेश की ओर से अंतिम डिक्री को चुनौती दी गई है। शेष पक्षकारान की ओर से अंतिम डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है।

विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार किया गया है। इसमें स्पष्ट अंकन है कि अपीलान्ट दिनेश मौके पर उपस्थित था। हस्ताक्षर करने से इंकार किया। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शे से स्पष्ट जाहिर है कि विभाजन नियम 18 से 21 की पालना में तैयार किया गया है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अनुसार सुनवाई कर विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार [illegible])
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर